



HAMIRPUR POLICE



थाना राठ

दिनांक-09.09.2021

04 अभियुक्तों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई:-

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही/प्रभावी पैरवी के क्रम में अपर जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा जनपद के गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित/जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निम्न अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक न ही जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे, उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

जिला बदर किए गए अपराधी का विवरण:-

- 1) अंकित तिवारी पुत्र बदलू तिवारी उर्फ संजय तिवारी निवासी मोहाल माँझखोर रमेणी थाना कोतवाली सदर हमीरपुर, दिनांक 15/07/2021 से 6 माह।
- 2) उमेश पुत्र जौहरी निवासी इस्लामपुर थाना चिकासी जनपद हमीरपुर दिनांक 09/08/2021 से 6 माह।
- 3) सतेंद्र पुत्र प्रताप उर्फ प्रजापत निवासी अतरौली थाना चिका जरिया जनपद हमीरपुर, दिनांक 25/08/2021 से 6 माह।
- 4) गद्दार उर्फ रमजान पुत्र समी निवासी सिकंदरपुरा कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर, दिनांक 25/08/2021 से 6 माह।